

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/177
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00163
CICOM/R/2018/00533

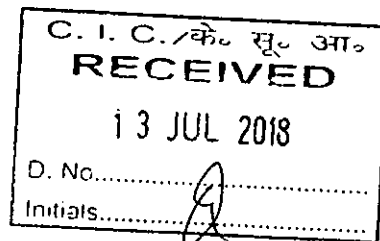
दिनांक: 12.07.2018

अपीलकर्ता : श्री विमल कुमार शुक्ल,
अभि० सहायक, दूरदर्शन रिले केन्द्र,
राजहरा, बालोड,
छत्तीसगढ़ - 491228.

निर्णय की तारीख: 12.07.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	17.05.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	14.06.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एच. पी. सेन
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	23.06.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	304/29.06.2018 (264/28.06.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 17.05.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 14.03.2017 एवं 11.09.2017 के पत्रों पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 14.06.2018 को पत्र सं. CIC/CPIO/IC-DP/2018/0003 के माध्यम से सूचना उपलब्ध करवा दी गई है जिसकी प्रति अपीलकर्ता के प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न भी है। श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

13/07/18